

27/01/16

प्रेषकः

अरविन्द सिंह हयांकी,  
प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषयः-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में माओ मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 90 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदयः

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड द्वारा माओ मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 90 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 509.15 किमी० + 30 सेतु तथा लागत ₹ 4404.25 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 4404.25 लाख (₹ चावालीस करोड़ चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं०-५ पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 90 कार्यों हेतु ₹ 9.00 लाख (₹ नौ लाख मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764 / ।।।(2)/ 10-17(सामाय) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखार्थीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

माओ मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत  
संख्या- ५२८ ।।।(2)/ 16-14(मु०म०घ०) / 2015

८४  
प्रमुख अभियन्ता  
लो० विं विं

देहरादून: दिनांक: 23 जनवरी, 2016

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बहुत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-834/xxvii/(2)/2015 दिन-20 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

( अरविन्द सिंह हयांकी )  
प्रभारी सचिव

संख्या:- (1) / 111(2) / 16-14(मु0मं0घो0) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नेनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( ए०ए०पांगती )  
उप सचिव

-7-

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2) / 16-14(मु0म0घो0) / 2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

51	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2140 / 2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत भौरा पुल से कोटुली तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00+ 84 mtr.	30.20	0.10
52	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2151 / 2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत भकुनधार से खाई जोशीझाला होते हुए रा.इ.का. छत्याणी तक 03 किमी. लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	28.38	0.10
53	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2150 / 2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत पिंगलो से छुआ बैण्डा-अनुजाति होते हुए ग्राम लस्करखेत होते हुए रा.इ. का. मैरडीस्टेट लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	37.84	0.10
54	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1776 / 2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी-वल्डिगाड से लॉबॉज तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00+ 2No	390.06	0.10
55	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1763 / 2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत लाहूर नदी में लखूटीबगड़ के पास 50 मी. स्पान पैदल झूला सेतु का निर्माण कार्य।	50 mtr.	4.19	0.10
56	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1779 / 2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-काचास- पथरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्रालदम तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00+ 24 mtr.	80.04	0.10
57	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2122 / 2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माणकार्य।	3.00	25.68	0.10
58	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1771 / 2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत ढपरी झाकरा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	4.500	0.94	0.10
59	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1194 / 2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-श्रीनगर के अन्तर्गत खिर्स-घौड़िया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	78.60	0.10
60	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1193 / 2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-श्रीनगर के अन्तर्गत कतुली से डांगू-तोली मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	69.15	0.10
61	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1195 / 2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-श्रीनगर के अन्तर्गत गजेली-सोड से खेड़ाखाल मोटर मार्ग को मंगलाकोटी तक विस्तार का कार्य।	2.50	49.75	0.10
62	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1471 / 2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रियाग के अन्तर्गत देवल से धानई तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	3.00	35.40	0.10
63	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1712 / 2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत गर्जिया से जमतड़ी-कूटा मोटर मार्ग का कार्य।	10.00+ 30 mtr.	46.30	0.10
64	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1577 / 2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालधाट के अन्तर्गत रीठा से चनुवाखरक 05 किमी० मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	27.50	0.10

-10-

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2) / 16-14(मु0म0घो0) / 2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

89	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1518/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वाराहाट के अन्तर्गत भण्डारगाँव मेल्टा से कुनथ्याड़ी दूनागिरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं 9 मी. विस्तार आर.सी.सी. मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	6.00+ 9 mtr.	32.22	0.10
90	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1798/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वाराहाट के अन्तर्गत मॉसी पुल पार से गोगता परथोला अफो (केदार) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	9.00	43.02	0.10
	योग:-	509.15 + 30 Brg	4404.25	9.00

( कुल ₹ नौ लाख मात्र )

( ए०४८०पांगती )

उप सचिव